वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2014-15





रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 284 003, भारत

Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Jhansi 284 003, India

रा.ल.बा. के.कृ.वि. वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

मई 2014 - जून 2015



रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 284 003, भारत

(मई 2014 से जून 2015)

दूरभाष : 0510-2730555, 0510-2730777

फैक्स : 0510-2730555

ई-मेल : vcrlbcau@gmail.com वेबसाइट : http://www.rlbcau.ac.in

प्रकाशनः

डॉ. मुकेश श्रीवास्तव

कुलसचिव रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 284003

संकलन और संपादनः

डॉ. कुसुमाकर शर्मा

सलाहकार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 284003

आभार:

कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय (डीकेएमए)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-1, पूसा, नई दिल्ली 110012

मै. प्रिन्ट-ओ-वर्ल्ड, 2568, मंदिर लेन, शादीपुर, नई दिल्ली-110008 द्वारा लेजरटाईपसैट तथा मै. रायल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

नी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएलबीसीएयू) की स्थापना भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 मार्च 2014 को कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में प्रगत शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार के माध्यम से कृषि विकास के लिए की गई। मैंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के तत्काल बाद 9 मई 2014 को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपित के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मुझे शैक्षणिक वर्ष 2014-15 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में इस विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की प्रमुख गितविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छह जिलों नामत: छतरपुर, दमोह, दितया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के सात जिले नामत: बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालोन, झांसी, लिलतपुर और महोबा की कृषि बारानी, विविध, जिंटल, कम निवेश वाली, जोखिम और संकटों से युक्त है। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल की कमी तथा खराब मृदा और कम उत्पादकता से खाद्य सुरक्षा की समस्या और भी गहन हो जाती है। प्रमुख फार्मिंग प्रणालियों की उत्पादकता, लाभदायकता, स्थिरता और टिकाऊपन को सुधारने के लिए अनुसंधान तथा सार्वजिनक नीति, दोनों को समर्थ बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सिंचाई सुविधा विस्तार, मिट्टी स्वास्थ्य सुधार, मृदा संरक्षण, उर्वरकों का प्रभावी उपयोग, वैज्ञानिक पशु पालन, नई किस्मों का विकास, कृषि जिंसों के लिए स्पर्धापूर्ण बाजार और फार्मिंग में जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए विधियों का विकास जैसी युक्तियां लाभदायक कृषि तथा पशुपालन को विकसित करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

यह विश्वविद्यालय देश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने व उसे टिकाऊ बनाने के अंतिम उद्देश्य से कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की गतिविधियों के सिम्मिलत दृष्टिकोण को अपना रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के तेजी से प्रचार-प्रसार से इस प्रयास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई जा सकती है। कृषि प्रतिदिन ज्ञान गहन होती जा रही है। राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होने के नाते विश्वविद्यालय के जनशिक्त संबंधी विकास के क्रियाकलाप छात्रों के बीच कुशलता तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण को सृजित करने में सहायक होंगे, जिससे भावी राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटा जा सकेगा तथा उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वैश्वक परिवर्तनों का भी सामना किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय अपने प्रेरणा स्रोत श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय विजीटर एवं श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रोत्साहन, मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये हृदय से आभारी हैं। मैं केन्द्र और राज्य सरकारों, कृषि अनुसंधान



दिनांक: 17.11.2016

स्थान : झांसी

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विश्वविद्यालय की विभिन्न गितविधियों को सम्पन्न करने में सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री जवाहर लाल, प्रशासनिक अधिकारी, भा.कृ. अ.प. — सीएएफआरआई व श्री महेश मुलानी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अ.प. — आईजीएफआरआई द्वारा विश्वविद्यालय के क्रमश: प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य में सहयोग हेतु आभार व धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय के अपने सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके अथक प्रयासों के बिना विश्वविद्यालय की इन उपलब्धियों को प्राप्त करना संभव नहीं था। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट में दी गई सूचना से सभी लाभान्वित होंगे तथा इस संस्था द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की समीक्षा कर सकेंगे।

3ndag JMIL

(अरविन्द कुमार)

कुलपति

विषय-सूची

प्राक्कथन	iii
विश्वविद्यालय	1
1. प्रस्तावना	2
2. न्यायिक क्षेत्र तथा उत्तरदायित्व	2
3. महाविद्यालयों की स्थिति	2
4. विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न	2
5. लक्ष्य	3
6. शासन	3
7. शैक्षणिक गतिविधियां	5
8. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-चना उप-केन्द्र की स्थापना	7
9. वित्त एवं बजट	8
10. वर्ष 2015-16 के लिए भावी दिशा (रोडमैप)	8
अनुबंध I	9
अनुबंध II	11
अनुबंध III	12
अनुबंध IV	15
अनुबंध V	16
अनुबंध VI	17
अनुबंध VII	18

विश्वविद्यालय

de la constant de la

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

1. प्रस्तावना

संसद के रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का संख्या 10) को 4 मार्च 2014 को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा भारत सरकार की शासकीय विशेष राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यह 5 मार्च 2014 को लागु हुआ। इस अधिनियम में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में कृषि शिक्षा को और प्रगत बनाने व इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा कृषि के विकास के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापना व संचालन का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में होगा। विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के विज़िटर द्वारा देश के प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ता तथा शिक्षाविद डॉ. अरविन्द कुमार को इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया।

2. न्यायिक क्षेत्र तथा उत्तरदायित्व

कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का न्यायिक क्षेत्र तथा उत्तरदायित्व सम्पूर्ण देश में विस्तृत होगा और प्राथमिकता बुंदेलखण्ड क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को दी जाएगी। विश्वविद्यालय के प्राधिकार के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले सभी महाविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रायोगिक केन्द्र व अन्य संस्थाएं अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के पूर्ण प्रबंध तथा नियंत्रण में होंगी और ऐसी किसी भी इकाई को सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। यह विश्वविद्यालय विस्तार किमीयों तथा अन्य के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व भी

वहन कर सकता है और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकता है जो इसके न्यायिक क्षेत्र में बुंदेलखंड के विभिन्न भागों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

3. महाविद्यालयों की स्थिति

विश्वविद्यालय अधिनियम में, जैसा उचित हो, न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अन्य स्थानों पर भी परिसर स्थापित करने का प्रावधान है. बशर्ते कि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में दो महाविद्यालय स्थापित करेगी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ब्ंदेलखंड क्षेत्र में दो महाविद्यालय झांसी में स्थापित करेगी। अत: विश्वविद्यालय ने अपना मुख्यालय, कृषि महाविद्यालय व बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय झांसी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। दो महाविद्यालय. नामत: पश् चिकित्सा एवं पश्विज्ञान महाविद्यालय तथा मात्स्यकी महाविद्यालय, दितया, मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने झांसी स्थित भा.कृ.अ.प.-आईजीएफआरआई व भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही 300 एकड भूमि विश्वविद्यालय द्वारा दोनों महाविद्यालयों की स्थापना और उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पश्चिकित्सा एवं पश्विज्ञान महाविद्यालय और मात्स्यिकी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए दितया में 175 एकड भूमि आबंटित की है।

4. विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न

माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह ने 11.11.2014 को डॉ. अय्यप्पन, सचिव, डेयर

एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.; डॉ. आर.बी. सिंह, कुलाधिपति, सीएयू, इम्फाल और डॉ. अरविन्द कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति की उपस्थिति में



माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा विश्वविद्यालय प्रतीक चिहन का विमोचन

विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न का विमोचन किया। इस प्रतीक चिह्न में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों के विभिन्न पहलू सम्पूर्ण और टिकाऊ रूप में दर्शाए गए हैं तथा साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना के वर्ष का भी उल्लेख है। इसका आदर्श वाक्य 'कृषि सर्व जीवनस्य आधारम्' (कृषि सभी के जीवन का आधार है) है।

5. लक्ष्य

अधिनियम में विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं जो निम्नानुसार हैं:

- क. जैसा उचित हो, कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना;
- ख. कृषि तथा संबंध विज्ञानों में अधिगम या सीखने तथा अनुसंधान करने में और अधिक प्रगति करना;
- ग. बुंदेलखंड में तथा अपने न्यायिक क्षेत्र के राज्यों के जिलों में विस्तार शिक्षा के कार्यक्रम चलाना;
- घ. राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझीदारी और सम्पर्कों को बढा़वा देना; और
- ड. समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य ऐसे कार्यों को सम्पन्न करना।

6. शासन


कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक व शैक्षणिक प्रमुख तथा प्रबंधमंडल, वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रबंधमंडल, वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद शीर्ष निकाय होंगे जो प्रशासनिक, वित्तीय व शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन प्रबंध मंडल के द्वारा होगा जो नीति निर्माण करने वाली इकाई होगी तथा विश्वविद्यालय के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगी। प्रबंध मंडल में चार सचिव होंगे जो कृषि एवं पशुपालन, मात्स्यिकी एवं बागवानी विभागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के सचिवों में से होंगे और जिन्हें क्रमवार विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा। इसमें शर्त यह है कि एक विशेष समय पर मंडल में एक राज्य से दो से अधिक सचिव नहीं होंगे: विजिटर द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होंगे: विजिटर द्वारा नामित कृषि उद्योग या विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कृषि विभाग में विशेष ज्ञान प्राप्त हो; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व उप महानिदेशक (शिक्षा) करेंगे। कुलपति द्वारा क्रमिक आधार पर नामित महाविद्यालय का एक अधिष्ठाता और एक निदेशक होगा: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से क्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामित तीन व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होगी जो बंदेलखंड में कृषकों का प्रतिनिधित्व करेगी; एक परामर्शक (कृषि), योजना आयोग; विजिटर द्वारा नामित प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध पर एक विशिष्ट प्राधिकारी: भारत सरकार के कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम संयुक्त सचिव की श्रेणी के दो व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार के संबंधित सचिव द्वारा नामित किया जाएगा; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव द्वारा नामित एक व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय



का कुलसचिव जो सचिव के रूप में कार्य करेगा/ करेगी। विश्वविद्यालय ने तदनुसार अधिसूचना संख्या वीसी/आरएलबीसीएयू/1/बीओएम/2015 के द्वारा मंडल का गठन किया है (अनुबंध-1)।

विश्वविद्यालय की वित्त समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति; तथा वित्तीय सलाहकार, कृषि

अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग; मंडल द्वारा नामित 3 व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक मंडल के सदस्य हो नामित होंगे; 3 व्यक्ति विजिटर द्वारा नामित किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय का नियंत्रक इसका सदस्य-सचिव होगा। विश्वविद्यालय की शासन संरचना चित्र 1 में दर्शायी गई है।



चित्र 1: विश्वविद्यालय की शासन संरचना

7. शैक्षणिक गतिविधियां

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए झांसी स्थित भा. कृ.अ.प. के अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक स्टाफ व अनुसंधान प्रयोगशालाओं की सहायता से स्नातकपूर्व कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया। कुलपित द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 28 की उप धारा 1 के साथ पढ़े जाने वाले



कुलपित डॉ. अरविन्द कुमार प्रवेश पाए नए छात्रों के समूह के साथ

उप धारा (2) में प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित अध्यादेश जारी किए गए:

i. 2014 का अध्यादेश संख्या 1 : छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन

छात्रों का प्रवेश स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार होगा। बीएस.सी. (ऑनर्स), कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला प्रत्येक प्रत्याशी भारतीय नागरिक होगा जिसकी उस शैक्षणिक वर्ष के जिसमें वह प्रवेश लेना चाहता है, 31 अगस्त को आयु कम से कम 17 वर्ष होगी। एससी/एसटी/

पीसी के अतिरिक्त प्रत्याशियों को आयु सीमा में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों को मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। प्रत्याशियों का चयन भा.कृ.अ.प. द्वारा सम्पन्न कृषि में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखते हुए तथा अंकों की प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनिवज्ञान व जीविवज्ञान/गणित या कृषि सहित 10+2 स्तर पर कम से कम कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक होगी।

ii. 2014 का अध्यादेश सं. 2 : बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम

आरएलबीसीएयू में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

iii. 2014 का अध्यादेश सं. 3 : अनुदेश एवं परीक्षा का माध्यम

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुदेश व परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

iv. 2014 का अध्यादेश सं. 4 : अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए लिया जाने वाला शुल्क

कृषि महाविद्यालय, झांसी के बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों से वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य दोनों प्रकार के शुल्क सीएयू, इम्फाल में विद्यमान प्रावधानों के पैटर्न पर लिए जाएंगे (अनुबंध II)

v. 2014 का अध्यादेश सं. 5 : अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति दिए जाने की शर्ते

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,

झांसी के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, प्रतिभा एवं साधन छात्रवृत्ति और मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए) दिए जाने हेतु शर्ते व क्रियाविधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगी।

vi. 2014 का अध्यादेश सं. 6 : परीक्षा सम्पन्न करना

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों के लिए परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली सम्पन्न करने की शार्ते व क्रियाविधि, अगली अधिसूचना तक, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षणिक विनियमों के अनुसार होंगी।

vii. छात्रों के आवास की शर्तें

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्रों के आवास की शर्ते निम्नानुसार होंगी:

 रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी एक आवासीय विश्वविद्यालय होगा।

- 2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में या विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित और प्रबंधित ऐसे ही किसी रिहायशी स्थान में रहेगा।
- 3. इस अध्यादेश के पैरा 1 और 2 में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त किसी छात्र को संबंधित अधिष्ठाता विशेष परिस्थितियों में तथा अभिभावक/संरक्षक के विशिष्ट लिखित अनुरोधपर छात्रावास के बाहर ठहरने की अनुमित दे सकता है। बशर्ते कि उसका निवास स्थान महाविद्यालय से उचित दूरी पर स्थित हो।

शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के दौरान बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि कार्यक्रम के प्रथम बैच में कुल 20 छात्रों को प्रवेश दिया गया। यह प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए गए स्नातक पूर्व कार्यक्रमों के लिए आयोजित कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (एआईईईए) के माध्यम से दिया गया। विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रथम कुलपित की नियुक्ति के दो माह पश्चात् 28 जुलाई 2014 से आरंभ हुआ। कृषि

इस शैक्षणिक वर्ष (2014-15) के दौरान बी.एससी. (ऑनर्स), कृषि के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए:

I. सेमिस्टर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम शीर्षक	क्रेडिट घंटे
1.	एपीए 101	सस्यविज्ञान एवं कृषि मौसमविज्ञान के सिद्धांत	3 (2+1)
2.	एजीपी 111	आनुवंशिकी के सिद्धांत	3 (2+1)
3.	एपीएस 116	मृदा विज्ञान का परिचय	3 (2+1)
4.	एएई 131	मृदा, जल एवं संरक्षण अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत	3 (2+1)
5.	एपीपी 136	पादप रोगजनक एवं पादप रोगविज्ञान के सिद्धांत	4 (3+1)
6.	एपीएच 101	फल फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी	3 (2+1)
7.	एपीए 102	परिचात्मक कृषि	1 (1+0)
	कुल क्रेडिट घंटे		20

II. सेमिस्टर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम शीर्षक	क्रेडिट घंटे
1.	एपीपी 137	परिचयात्मक सूत्रकृमिविज्ञान	2 (1+1)
2.	एबीएस 152	सांख्यिकी	2 (1+1)
3.	एपीए 103	सूक्ष्म सिंचाई सहित जल प्रबंध	3 (2+1)
4.	एजीपी 112	पादप प्रजनन के सिद्धांत	3 (2+1)
5.	एईसी 126	कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत	2 (2+0)
6.	एएसी 146	कृषि विस्तार के आयाम	2 (1+1)
7.	एबीए 154	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान	3 (2+1)
8.	एबीसी 153	कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का परिचय	2 (1+1)
9.	एपीएस 117	मृदा विज्ञान, मृदा उर्वरता और पोषक तत्व प्रबंध	3 (2+1)
10.	एबीएम 151	प्राथमिक गणित (अगणनीय)	2 (2+0)
	कुल क्रेडिट घंटे		24

में स्नातक पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया गया जिसमें प्राध्यापक (17), एसोसिएट प्राध्यापक (09) और सहायक प्राध्यापक (08) के समतुल्य कैंडर के कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) के 34 उच्च सक्षम वैज्ञानिकों को शामिल किया गया (अनुबंध III)। शैक्षणिक सत्र 28 जुलाई 2014 से और दूसरा सेमस्टर 29 जनवरी 2015 से आरंभ हुआ। दोनों सेमिस्टरों का विस्तृत विवरण शैक्षणिक कैलेण्डर अनुबंध-IV में दिया गया है।

8. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-चना उप-केन्द्र की स्थापना

उत्पादकता में ठहराव के साथ-साथ घटती हुई उपलब्धता के कारण दालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा दालों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग और पूर्ति में बहुत अंतराल आ गया है। भारत में उगाई जाने वाली तथा उपभोग की जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों मे चना प्रमुख है,

इसे बंगाली चने के रूप में भी जाना जाता है। पश् प्रोटीन की तुलना में चना प्रोटीन का प्रमुख और सस्ता स्रोत है। चने का भारत में कुल उगाई जाने वाली दालों में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान है। जैसा कि अन्य दालों के मामले में है, भारत चने का प्रमुख उत्पादक देश है जहां विश्व में कुल चने के उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन होता है। चने की खेती इसके बीजों के लिए की जाती है। यह प्रोटीन का समृद्ध स्रोत (17-20)% प्रोटीन हैं और शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण अंग हैं। चना रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है जो सितम्बर-नवम्बर में बोई जाती है और फरवरी-मार्च में काटी जाती है। यह कम से मध्यम वर्षा वाले और हल्के ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयुक्त है। बुवाई के तत्काल बाद या पुष्पन अवस्था में अधिक वर्षा का होना फसल के लिए हानिकारक है। गंभीर शीत की स्थितियां फसल को क्षितिग्रस्त हानि पहुंचाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न से हल्की वर्षा होती है और यहां मध्यम ठंडा मौसम रहता है।



अत: यह क्षेत्र चने के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। बुंदेलखंड क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती के माध्यम से चने की उत्पादकता में वांछित वृद्धि करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने झांसी स्थित विश्वविद्यालय परिसर में एक नए अखिल भारतीय चना समन्वित अनुसंधान परियोजना के उप केन्द्र को खोलने का निर्णय लिया है। इस हेतु कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11.11.2014 के पत्र सं. सीएस/6/3/2014-आईए-III के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन किया गया है।

9. वित्त एवं बजट

विश्वविद्यालय को अपनी गतिविधियां सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से निधियां प्राप्त होती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय को पहली बार 100,000,00.00 रुपये मात्र का बजट आबंटित किया गया। वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा भारत के लेखानियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा की गई। लेखापरीक्षा का कोई भी पैरा लम्बित नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे के साथ-साथ 31 मार्च 2015 को तुलन-पत्र क्रमशः अनुबंध&V और IV में दिए गए हैं।

10. वर्ष 2015-16 के लिए भावी दिशा (रोडमैप)

- प्रबंध मंडल और वित्त समिति का गठन
- स्नातक पूर्व अध्ययन के लिए रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विनियमों का निर्धारण
- बी.एस.सी. (ऑनर्स), कृषि कार्यक्रम को जारी रखना
- निर्माण एजेंसी और डीपीआर को अंतिम रूप देना
- विश्वविद्यालय के विभिन्न घटक महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक तथा शिक्षण इतर पदों का सृजन।

अनुबंध I

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का संघटन

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची के पैरा 12 (1) के अनुसार)

क्र.सं.	संघटन	नाम और पदनाम	स्तर
1.	कुलपति (अनुसूची की धारा 12 (1) (i)	डॉ. अरविन्द कुमार, कुलपति, आरएलबीसीएयू, झांसी	अध्यक्ष
2.	चार सचिव, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों के कृषि एवं पशुपालन, मात्स्यिकी	1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ- 226001	सदस्य
	एवं बागवानी विभागों के प्रभावी सचिवों में से जिन्हें विजिटर द्वारा क्रमानुसार नामित किया जाना है:	2. प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ- 226001	सदस्य
	बशर्ते कि एक विशेष समय में मंडल में एक राज्य के दो से अधिक सचिव नहीं होंगे।	3. श्री राजेश रजौरा, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल- 462003	सदस्य
	(अनुसूची की धारा 12 (1) (ii) के अनुसार)	4. श्री प्रभांशु कमल, प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल- 462003	सदस्य
3.	विजिटर द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक (अनुसूची की धारा 12 (1) (iii) के अनुसार)	 डॉ. एस.सी. मुदगल, पूर्व महानिदेशक, यूपीसीएआर, लखनऊ एवं पूर्व कुलपित, जीबीपीयूएटी, पंतनगर, 6, राजदीप इन्कलेव, फेज-II, 100 फुटा रोड, दयाल बाग, आगरा- 282005 	सदस्य
		2. डॉ. के.आर. धीमन, पूर्व कुलपित, वाई.एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्याय, सोलन, हिमाचल प्रदेश, ताशीलिंग कॉटेज, बीसीएस के नीचे, फेज-3, नया शिमला, शिमला- 171009	सदस्य
		3. डॉ. बी.वी. पाटिल, शिक्षा निदेशक एवं पूर्व कुलपित, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर- 584104	सदस्य
4.	विजिटर द्वारा नामित कृषि विकास में विशेष ज्ञान से युक्त कृषि आधारित उद्योगों या विनिर्माता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति (अनुसूची की धारा 12 (1) (iv) के अनुसार))	श्री एन. कुमार, देवराहल्ली, डाकघर लक्ष्मीनगर, ताल्लुक सिरसा, जिला टुमकुर- 572 139, कर्नाटक, द्वारा सिद्श्वरा गौड़ा, सेवानिवृत्ति एस. पी. कन्ना कॉटेज, 16वां क्रॉस, एसआईटी एक्सटेंशन, नंदीश लेआउट टुमकुर- 572 103	
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व करते हुए उप महानिदेशक (शिक्षा) (अनुसूची की धारा 12 (1) (v) के अनुसार)	उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली- 110012	सदस्य



क्र.सं.	संघटन	नाम और पदनाम	स्तर
6.	कुलपित द्वारा क्रम के आधार पर नामित महाविद्यालय का एक अधिष्ठाता तथा एक निदेशक	 डॉ. (श्रीमती) मृदुला बिल्लौर, अधिष्ठाता, बी. एम. कृषि महाविद्यालय, खण्डवा- 450001 डॉ. पी.के. घोष, निदेशक, आईजीएफआरआई, 	
	(अनुसूची की धारा 12 (1) (vi) के अनुसार)	झांसी- 284 003	
7.	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रमानुसार कुलपित द्वारा नामित बुंदेलखंड	 श्रीमती प्रमोद कुमारी राजपूत, गोंडु कम्पाउंड, सिविल लाइंस, झांसी- 284 001 	
	में कम से कम एक महिला कृषक का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिनिधि सहित तीन व्यक्ति।	 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, यादव काम्प्लैक्स, कुमकुम टॉकीज के निकट, पन्ना- 411 002 श्री गोपाल दास पालीवाल, कस्बा- कुरारा, वार्ड 	·
	बशर्ते कि एक समय में मंडल में एक राज्य के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे।	3. श्री गोपाल दास पालीवाल, कस्बा- कुरारा, वार्ड 11, पालीवाल मोहल, जनपथ हमीरपुर- 210 505	सदस्य
	(अनुसूची की धारा 12 (1) vii के अनुसार)		
8.	एक परामर्शक (कृषि), योजना आयाग (अनुसूची की धारा 12 (1) viii के अनुसार)	डॉ. जे.पी. मिश्र, परामर्शक (कृषि), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली- 110 049	सदस्य
9.	विजिटर द्वारा नामित प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध पर एक विशिष्ट प्राधिकारी (अनुसूची की धारा 12 (1) ix के अनुसार)	प्रो. अनिल कुमार सिंह, पूर्व उप महानिदेशक (एनआरएम), भा.कृ.अ.प., कुलपित, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर- 474 002	सदस्य
10.	नामित कृषि एवं पशुपालन से संबंधित भारत सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व	 श्री संजय लोहिया, संयुक्त सचिव (फसलें), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001 	
	करने वाले कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के दो व्यक्ति (अनुसूची की धारा 12 (1) (x) के अनुसार)	2. श्रीमती रजनी सेखरी सिबल, संयुक्त सचिव (सी और डीडी), पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001	सदस्य
11.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव का एक नामिति	अपर सचिव, डेयरी एवं सचिव, भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001	सदस्य
	(अनुसूची की धारा 12 (1) (xi) के अनुसार)		
12.	विश्वविद्यालय का कुलसचिव- सचिव (अनुसूची की धारा 12 (1) (xii) के	रिक्त	सदस्य सचिव
	अनुसार)		

अनुबंध ॥

बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	राशि (रुपयों में)	
महाविद्याल	महाविद्यालय शुल्क-गैर वापसी योग्य/सेमिस्टर		
1.	पंजीकरण शुल्क	40.00	
2.	प्रवेश शुल्क	10.00	
3.	ट्यूशन शुल्क	240.00	
4.	परीक्षा शुल्क	50.00	
5.	प्रयोगशाला शुल्क	100.00	
6.	पुस्तकालय शुल्क	40.00	
7.	पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क	10.00	
8.	सेमिस्टर रिपोर्ट शुल्क	10.00	
9.	छात्र कल्याण निधि	80.00	
10.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	10.00	
11.	छात्रावास स्थापना शुल्क	20.00	
12.	छात्रावास पात्र, क्रॉकरी आदि मूल्यहास शुल्क	90.00	
13.	छात्रावास कमरे का किराया	600.00	
14.	जल प्रभार	60.00	
15.	बिजली प्रभार	60.00	
	कुल	1360.00	
वापसी यो	^{ाय}		
(एक पाठ्	यक्रम के लिए केवल एक बार अदा किया जाना है)		
16.	महाविद्यालय जमानती राशि	200.00	
17.	छात्रावास जमानती राशि	500.00	
18.	बिजली जमानती राशि	2000.00	
19.	भोजनालय जमानती राशि	2000.00	
	कुल	3700.00	

टिप्पणी:

- 1. छात्र भोजनालय संबंधी प्रभार, वास्तव में हुए व्यय के अनुसार, अलग से अदा करेंगे।
- 2. इस अध्यादेश में विशिष्ट शुल्क 2014-15 शैक्षणिक सत्र में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाए छात्रों से, अगले अध्यादेश तक लिए जाएंगे।



अनुबंध III

बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि प्रथम वर्ष के लिए शिक्षण संकाय

क्र.सं.	संकाय	पद	पाठ्यक्रम का शीर्षक
सेमिस्टर	I		
1.	डॉ. पी.एन. द्विवेदी	पाठ्यक्रम समन्वयक/प्रधन वैज्ञानिक (पशु पोषण), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	-
2.	डॉ एन.एस. एक्का	सह-समन्वयक/वैज्ञानिक, एसएस (भूगोल), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	-
3.	डॉ. राम निवाज	कोर्स लीडर, प्रधान वैज्ञानिक (सस्यविज्ञान), भा.कृ.अ.पसीएएफआरआई, झांसी	सस्यविज्ञान के सिद्धांत एवं कृषि मौसम विज्ञान
4.	डॉ. एस.एन. राम	प्रधान वैज्ञानिक (सस्यविज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं कृषि मौसम विज्ञान
5.	डॉ. इंदर देव	प्रधान वैज्ञानिक (सस्यविज्ञान), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं कृषि मौसम विज्ञान
6.	डॉ. एस.के. राय	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि मौसमिवज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	सस्य विज्ञान के सिद्धांत एवं कृषि मौसम विज्ञान
7.	डॉ. ए.के. रॉय	कोर्स लीडर/परियोजना समन्वयक (चारा फसलें), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	आनुवंशिकी के सिद्धांत
8.	डॉ. जी. सहाय	वरिष्ठ वैज्ञानिक (आनुवंशिकी एवं कोशिकानुवंशिकी), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	आनुवंशिकी के सिद्धांत
9.	डॉ. कुमार दुर्गेश	वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	आनुवंशिकी के सिद्धांत
10.	डॉ. आर.पी. शाह	वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	आनुवंशिकी के सिद्धांत
11.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	कोर्स लीडर/प्रधान वैज्ञानिक (मृदा उर्वरता एवं सूक्ष्मजीवविज्ञान), भा.कृ.अ.प. – सीएएफआरआई, झांसी	मृदा विज्ञान का परिचय
12.	डॉ. मनोज चौधरी	वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	मृदा विज्ञान का परिचय
13.	डॉ. रमेश सिंह	कोर्स लीडर/प्रधान वैज्ञानिक (मृदा एवं जल संरक्षण), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	मृदा जल संरक्षण एवं अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत
14.	इंजी. बी. नरसिम्लु	वरिष्ठ वैज्ञानिक (एसडब्ल्यूसीई), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	मृदा जल संरक्षण एवं अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत

क्र.सं.	संकाय	पद	पाठ्यक्रम का शीर्षक
15.	डॉ. प्रदीप सक्सेना	कोर्स लीडर/प्रधान वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	पादप रोगजनक एवं पादप रोगविज्ञान के सिद्धांत
16.	डॉ. अनिल कुमार	प्रधान वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान विज्ञान), भा.कृ. अ.प सीएएफआरआई, झांसी	मृदा जल संरक्षण एवं अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत
17.	डॉ. ऋतु मवार	वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	मृदा जल संरक्षण एवं अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत
18.	डॉ. एच.वी. सिंह	वरिष्ठ वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	मृदा जल संरक्षण एवं अभियांत्रिकी के मूल सिद्धांत
19.	डॉ. आर.के. तिवारी	कोर्स लीडर/प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी), भा.कृ.अ.प. - आईजीएफआरआई, झांसी	फल फसलों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी
20.	डॉ. सुनील कुमार	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	फल फसलों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी
21.	डॉ. साधना पाण्डे	वरिष्ठ वैज्ञानिक (गृह विज्ञान), भा.कृ.अ.प. – आईजीएफआरआई, झांसी	परिचयात्मक कृषि (प्राचीन विरासत, कृषि, परिदृश्य और कृषि में लिंग समानता)
22.	डॉ. मंजु सुमन	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प आईजीएफआरआई, झांसी	परिचयात्मक कृषि (प्राचीन विरासत, कृषि, परिदृश्य और कृषि में लिंग समानता)
सेमिस्टर	II		
1.	डॉ. अनिल कुमार	प्रधान वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	परिचयात्मक सूत्रकृमिविज्ञान
2.	डॉ. अजित कुमार	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि सांख्यिकी विभाग), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	सांख्यिकी
3.	इंजी. बी. नरसिम्लु	वरिष्ठ वैज्ञानिक (एसडब्ल्यूसीई), भा.कृअ.प आईजीएफआरआई, झांसी	सूक्ष्म सिंचाई सहित जल प्रबंध
4.	डॉ. कुमार दुर्गेश	वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), भा.कृअ.प आईजीएफआरआई, झांसी	पादप प्रजनन के सिद्धांत
5.	डॉ. ए.के. रॉय	परियोजना समन्वयक (चारा फसलें), भा.कृअ.प आईजीएफआरआई, झांसी	पादप प्रजनन के सिद्धांत
6.	डॉ. डी.एन. सिंह	सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन), भा. कृअ.प आईजीएफआरआई, झांसी	पादप प्रजनन के सिद्धांत
7.	डॉ. महेन्द्र सिंह	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अर्थशास्त्र), भा.कृअ.प सीएएफआरआई, झांसी	कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत
8.	डॉ. मंजु सुमन	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अर्थशास्त्र), भा.कृअ.प सीएएफआरआई, झांसी	कृषि विस्तार के आयाम



क्र.सं.	संकाय	पद	पाठ्यक्रम का शीर्षक
9.	डॉ. आर.पी. द्विवेदी	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	कृषि विस्तार के आयाम
10.	डॉ. ऋषि कुमार सक्सेना	अध्यक्ष (सूक्ष्मजीवविज्ञान), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
11.	डॉ. संजय कुमार	सहायक प्राध्यापक, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
12.	डॉ. देवेन्द्र मणि त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
13.	डॉ. संगीता लाल	सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
14.	डॉ. रंजना भाटी	सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
15.	डॉ. पंकज सागर	सहायक प्राध्यापक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान
16.	डॉ. आर.एच. रिजवी	प्रधान वैज्ञानिक (कम्प्यूटर विज्ञान), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का परिचय
17.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	प्रधान वैज्ञानिक (मृदा उर्वरता एवं सूक्ष्मजीवविज्ञान), भा.कृ.अ.प सीएएफआरआई, झांसी	मृदा रसायनविज्ञान, मृदा उर्वरता और पोषक तत्व प्रबंध
18.	डॉ. एस.वी. त्रिपाठी	सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान), भा.कृ.अ.प. - आईजीएफआरआई, झांसी	मृदा रसायनविज्ञान, मृदा उर्वरता और पोषक तत्व प्रबंध
19.	डॉ. अजित कुमार	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि सांख्यिकी प्रभाग), भा.कृ.अ.प. - आईएएसआरआई, नई दिल्ली	गणित अक्षमता पाठ्यक्रम

अनुबंध IV

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी वर्ष 2014-15 के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर

बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि प्रथम सेमिस्टर

पंजीकरण और प्रवेश की तिथि	28.07.2014
अभिमुखन	
कुलपित के साथ अभिमुखन कार्यक्रम	28.7.2014
अभिमुखन : सीएएफआरआई, झांसी अभिमुखन : आईजीएफआरआई, झांसी	29.7.2014
	30.7.2014
कक्षाओं का शुभारंभ	01.8.2014
फ्रैशर्स डे/सांस्कृतिक संध्या	14.8.2014
मध्यावधि-सेमिस्टर परीक्षा	13.10.2014 से 20.10.2014
शिक्षकों से डीन को मध्य सेमिस्टर रिपोर्ट	25.10.2014
अनुदेशों की समाप्ति	24.12.2014
तैयारी के लिए अवकाश	26.12.2014 से 28.12.2014
अंतिम सत्र परीक्षा (सिद्धांत तथा प्रयोगात्मक)	29.12.2014 से 12.01.2015
सेमिस्टर अवकाश	13.01.2015 से 28.01.2015

अगले सेमिस्टर का 29.01.2015 से शुभारंभ

द्वितीय सेमिस्टर

पंजीकरण की तिथि	29.1.2015
कक्षाओं का शुभारंभ	31.1.2015
पंजीकरण की अंतिम तिथि	3.2.2015
मध्य सत्र सेमिस्टर परीक्षा	10.4.2015 से 21.4.2015
शिक्षकों से डीन का मध्य सेमिस्टर रिपोर्ट	24.4.2015
अनुदेशों की समाप्ति	20.6.2015
अंतिम सत्र परीक्षा (सिद्धांत तथा प्रयोगात्मक)	25.6.2015 से 15.7.2015
सेमिस्टर अवकाश	

अगले सेमिस्टर का 1.8.2015 से शुभारंभ



अनुबंध V

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी वार्षिक लेखा 2014-15

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉर्पस / पूंजी निधि एवं देयताएं				
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	263031.00		
आरक्षित निधि	2	0.00		
निश्चित की गई/बंदोबस्ती निधि	3	0.00		
,				
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	8199036.00		
		8462067.00	0,00	
कुल		8462067,00	0.00	
परिसम्पत्तियां				
अचल परिसम्पत्तियां	5	206711.00		
निवेश-निश्चित की गई/बंदोबस्ती निधियां	6	0.00		
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां	7	8255356.00		
कुल		8462067.00	0.00	
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	23			
आकस्मिक देयताएं एवं लेखे की टिप्पणियां		24		

हस्ता./-**कुलपति**

हस्ता

वित्त एवं लेखा अधिकारी

अनुबंध VI

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी वार्षिक लेखा 2014-15

31 मार्च 2015 को समाप्ति वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रुपयों में)

1. आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
डेयर से प्राप्त अनुदान	8	1785525,00	
बिक्री तथा सेवाओं से आय	9	0.00	
शैक्षणिक प्राप्तियां	10	56320,00	
निवेशों से आय	11	0.00	
रायल्टी/प्रकाशनों से आय	12	0.00	
अर्जित ब्याज	13	0.00	
अन्य आय	14	0.00	
पूर्वाविध आय	15	0.00	
		0.00	
कुल (क)		1841845,00	0.00
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	16	1503500,00	
प्रशासनिक व्यय	17	62013,00	
शैक्षणिक व्यय	18	215350,00	
अनुसंधान व्यय	19	0.00	
विस्तार गतिविधियों पर व्यय	20	0.00	
अन्य व्यय	21	4662.00	
पूर्वाविध व्यय	22	0.00	
मूल्यह्मस	5	19453.00	
कुल (ख)		1804978.00	0.00
शेष अतिरिक्त राशि/(कमी) कॉर्पस को लाई गई/ पूंजीगत निधि है		36867.00	0.00

हस्ता.

वित्त एवं लेखा अधिकारी



अनुबंध VII

आरएलबीसीएयू, झांसी में प्रवेश के लिए संस्तुत उम्मीदवार

क्र.	अनुक्रमांक	स्थान	नाम	अधिवास	श्रेणी	बोर्ड का नाम	XII%	भा.कृ.अ.प.
सं.				राज्य				स्कोर
1.	2305791	1550	हेमंत सिंह	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	82.31	514.00
2.	2310568	1616	मोनिका गोयल	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	80.40	513.00
3.	2308012	1664	अमित धुल	हरियाणा	सामान्य	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	78.40	511.00
4.	2401682	1758	स्वपनिल पाण्डे	उत्तर प्रदेश	सामान्य	भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद	87.00	508.00
5.	1004620	1791	वन्य सिंह	उत्तर प्रदेश	सामान्य	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	91.00	507.00
6.	1702689	1830	कानु कुमावत	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	71.60	506.00
7.	2000199	1842	रोशनी	उत्तर प्रदेश	सामान्य	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	84.80	506.00
8.	1003114	1864	मनिशा धुहान		सामान्य	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	77.40	505.00
9.	2301836	1870	रोहित कुमार श्रीवास्तव	उत्तर प्रदेश	सामान्य	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	77.20	505.00
10.	2302310	2076	उमेश कुमार जायसवाल	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	75.80	498.00
11.	2308265	2109	विरेन्द्र कुमार कलवार	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	71.40	497.00
12.	1003705	2439	अनिल कुमार	दिल्ली	ओबीसी	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	58.00	487.00
13.	3206047	2907	सन्नी सिंह	बिहार	ओबीसी	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	76.40	475.00
14.	1001195	3005	ऋषिपाल	हरियाणा	ओबीसी	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	74.44	473.00
15.	3204439	3047	सुमन कुमारी	बिहार	ओबीसी	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	76.40	471.00
16.	3001661	9141	सुनील कुमार	हिमाचल प्रदेश	एससी	हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड	73.60	364.00
17.	2302172	11181	हर्षिता यादव	राजस्थान	एससी	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	72.00	337.00
18.	3002248	12659	मुकेश कुमार	हिमाचल प्रदेश	एससी	हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड	75.20	320.00
19.	3900484	18793	सावन कुमार	हिमाचल प्रदेश	एसटी	हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड	79.40	260.00
20.	2300891	20101	सत्य प्रकाश मीना	राजस्थान	एसटी	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	64.46	250.00

RLB CAU ANNUAL REPORT

2014-15

May, 2014 - June, 2015



Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Jhansi 284 003, India

Annual Report 2014 - 2015

(May, 2014 to June, 2015)

Telephone No. : 0510-2730555, 0510-2730777

Fax : 0510-2730555

E-mail : vcrlbcau@gmail.com

Website : http://www.rlbcau.ac.in

Published by

Dr. Mukesh Srivastava

Registrar Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Jhansi 284 003

Compiled & Edited by

Dr. Kusumakar Sharma

Consultant Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Jhansi 284 003

Acknowledgement

ICAR-Directorate of Knowledge Management in Agriculture (DKMA) Indian Council of Agricultural Research, Krishi Anusandhan Bhavan-I, Pusa Campus, New Delhi 110 012

Lasertypeset by M/s Print-O-World, 2579, Mandir Lane, Shadipur, New Delhi 110 08 and printed at M/s Royal Offset Printers, A-89/1, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi 110 028.

Foreword

Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (RLBCAU) was established in the Bundelkhand region of India on 5th March, 2014 for the development of agriculture through advanced teaching, research and extension in agriculture and allied sciences. I joined the University as first Vice Chancellor of the university on 9th May, 2014 immediately after its birth. I am pleased to present the first Annual Report for the academic year 2014-15, which highlights the principal activities and important achievements in its quest for development as an institution of national importance.

Agriculture in Bundelkhand, covering six districts, namely Chhatarpur, Damoh, Datia, Panna, Sagar and Tikamgarh of Madhya Pradesh and seven districts, namely Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mahoba of Uttar Pradesh is rain-fed, diverse, complex, under-invested, risky and vulnerable. The scarcity of water in the semi-arid region, with poor soil and low productivity further aggravates the problem of food security. There is paramount need to strengthen both research and public policy in order to improve the productivity, profitability, stability and sustainability of the major farming systems. Adoption of measures like increasing irrigation facilities, improving soil health, promoting soil conservation measures, effective fertilizer use, scientific animal husbandry, evolving new varieties, establishing competitive markets for agricultural commodities and developing measures to mitigate risk of climate change in farming are the important tools to evolve profitable agriculture and animal husbandry.

RLBCAU is to adopt a combined approach to strengthen agricultural research, education and extension activities with an ultimate aim to increase and stabilize agricultural production in the country with an emphasis in the Bundelkhand region. Rapid dissemination of improved technologies would play a significant role in this endeavor. Agriculture is increasingly becoming knowledge intensive. Being the first Agricultural University of the nation established as an Institution of national importance, manpower development activities of the University will be supported for creating skilful and professional candidacy among the students to meet the future national challenges and also to face the global changes for successful implementation of research programmes in emerging areas.

The University was greatly motivated in its efforts by the vision, encouragement and support of Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Visitor of the University and Shri. Radha Mohan Singh Ji, Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. My sincere thanks are



RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

due to the Central and State Governments, Department of Agricultural Research Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India and Indian Council of Agricultural Research for their support to carry out our various activities. I thank Mr. Jawahar Lal Sharma, Administrative Officer, ICAR-CAFRI, Jhansi and Mr. Mahesh Mulani, Finance and Accounts Officer, ICAR-IGFRI, Jhansi, who looked after Administrative and Finance related work of the University, respectively. I wish to record the tireless contributions of all my colleagues without which the achievements of RLBCAU would not have been possible. I am sure that all would be benefited by the information given in this report and it will help them understand the sustained efforts taken by our university.

Dated: 17.11.2016 (Arvind Kumar)
Place: Jhansi Vice Chancellor

Contents

Fore	iii	
The U	niversity	1
1.	Introduction	2
2.	Jurisdiction and Responsibility	2
3.	Location of Colleges	2
4.	The Logo of the University	2
5.	Goals	3
6.	Governance	3
7.	Academic Activities	5
8.	Establishment of AICRP- Chickpea sub-centre	7
9.	Finance and Budget	7
10.	Roadmap for the year 2015-16	8
	Annexure I	9
	Annexure II	11
	Annexure III	12
	Annexure IV	15
	Annexure V	16
	Annexure VI	17
	Annexure VII	18

UNIVERSITY



1. Introduction

The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act 2014 (No 10 OF 2014) of Parliament received the assent of the President on 4th March, 2014 and came into force on 5th March, 2014 by notification in the Official Extraordinary Gazette of the Government of India. The Act provide for the establishment and incorporation of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University in the Bundelkhand region for the development of agriculture and for the furtherance of the advancement of learning and pursuit of research in agriculture and allied sciences and declare it to be an institution of national importance. The headquarters of the University shall be at Jhansi in the State of Uttar Pradesh. The University is funded directly by the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, New Delhi.

Dr. Arvind Kumar, an eminent researcher and academician was appointed as the first Vice-chancellor of the University by the Hon'ble President of India in his capacity as Visitor of the University and joined on 9th May, 2014.

2. Jurisdiction and Responsibility

The jurisdiction and responsibility of the University with respect to teaching, research and programmes of extension education at the University level, in the field of agriculture shall extend to whole country and priority shall be laid on the issues related to Bundelkhand region. All colleges, research and experimental stations or other institutions to be established under the authority of the University shall come in as constituent units under the full management and control of the officers and authorities and no such units shall be recognized as affiliated units. The University

may assume responsibility for the training of field extension workers and others and may develop such training centers as may be required in various parts of Bundelkhand under its jurisdiction.

3. Location of Colleges

The University Act provides establishment of campuses at such other places within its jurisdiction as it may deem fit, provided that the University shall establish two colleges in the State of Madhya Pradesh and two colleges at Jhansi in the State of Uttar Pradesh in the Bundelkhand Region. Therefore, the University has decided to establish its head quarter and constituent College of Agriculture and College of Horticulture and Forestry at Jhansi. Two colleges, namely College of Veterinary and Animal Sciences, and College of Fisheries are proposed to be established at Datia, Madhya Pradesh. Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh have consented to make available 300 acres of land presently in use by ICAR-IGFRI, and ICAR-Central Agroforestry Research Institute at Jhansi for the establishment and use by the University. Similarly, Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh has also allotted land measuring 175 acres at Datia for setting up of a College of Veterinary and Animal Sciences and College of Fisheries.

4. The Logo of the University

Hon'ble Shri Radha Mohan Singh, Union Agriculture Minister released the logo of the University on 11-11-2014 in the presence of Dr. S. Ayyappan, Secretary DARE & Director

General, ICAR, Dr. R.B. Singh, Chancellor, CAU Imphal and Dr. Arvind Kumar, Vice-Chancellor of the University. The logo depicts various facets of





The University logo being released by Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Agriculture Minister

agriculture and allied sciences in a holistic and sustainable manner, the year of establishment of the university and its Motto "कृषि सर्व जीवनस्य आधारम्" (Agriculture is basis for sustenance of life.)

5. Goals

The University objectives are clearly defined in the Act as follows:

- to impart education in different branches of agriculture and allied sciences as it may deem fit;
- 2. to further the advancement of learning and conducting of research in agricultural and allied sciences;
- 3. to undertake programmes of extension education in Bundelkhand in the districts of the States under its jurisdiction;
- 4. to promote partnership and linkages with national and international educational institutions; and
- 5. to undertake such other activities as it may, from time to time, determine.

6. Governance

The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic head of the

University and ex-officio Chairman of Board of Management, Finance Committee and Academic Council. Board of Management, Finance Committee and Academic Council are the apex bodies, which will take decisions on administrative, financial and academic matters. The University is to be guided by Board of Management, which will be the policy making body and responsible for the management of the University. The members of BOM include Four Secretaries, from amongst the Secretaries in charge of the Departments of Agriculture and Animal Husbandry, Fishery and Horticulture of the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to be nominated by the Visitor by rotation, provided that there shall not be more than two Secretaries from a State in the Board at a particular time; three eminent scientists to be nominated by the Visitor; one distinguished person representing Agro-based industries or a manufacturer having a special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor; the Deputy-Director General (Education) representing the Indian Council of Agricultural Research; one Dean of college and one Director to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis; three persons including at least a woman representing farmers in Bundelkhand to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation in the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh; an Advisor (Agriculture), Planning Commission; a distinguished authority on natural resource or environment management to be nominated by the Visitor; two persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of Government of India dealing with the Agriculture and Animal Husbandry to be nominated by the concerned Secretary to the Government of India; nominee of the Secretary representing the Department of Agricultural Research and Education, Government of India, and the Registrar of the University as-

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

Secretary. The University has constituted the Board accordingly vide notification No. VC/RLBCAU/1/BOM/2015 (Annexure- I).

The Finance Committee of the University shall consist of the Vice Chancellor as Chairman and financial advisor, Department of Agricultural Research and Education; three persons to be nominated by the Board, out of whom at least one shall be a member of the Board; three persons to be nominated by the Visitor; and the Comptroller of the University as its Member-Secretary. The proposed governance structure of the University is depicted in Fig. (1).




Fig. 1. The governance structure of the University

7. Academic Activities

In order to give necessary impetus to academic activities of the University, it was decided to initiate the under graduate degree classes in Agriculture with the support of Scientific staff and Research Laboratories of ICAR Research Institutes stationed at Jhansi. The following Ordinances were issued for effective governance of the academic programme by the Vice-Chancellor, RLBCAU in exercise of the powers conferred by the Sub-Section (2) read with Sub Section 1 of Section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 (10 of 2014) with the previous approval of the Central Government:



Dr. Arvind Kumar Vice Chancellor with a group of newly admitted students.

Ordinance No. 1 of 2014 : Admission of students and their enrolment

The admission of students shall be governed as per the eligibility requirement prescribed by Indian Council of Agricultural Research for All India Entrance Examination in Agriculture and Allied Sciences (AIEEA) for UG programmes. Every candidate seeking admission in the B.Sc. (Hons.), Agriculture Course shall be an Indian national of atleast 17 years of age as on the 31st August of the academic year to which the admission is sought for. No relaxation of

age will be allowed to the candidates except for SC/ST/PC category where upper age limit would be relaxable by five years. The candidates shall be selected through the All India Entrance Examination in Agriculture (AIEEA) conducted by ICAR on the basis of merit of marks and keeping in view the reservation policies of Government of India. The minimum qualification for admission shall be of 50 % marks in aggregate at 10+2 level with English, Physics, Chemistry and Biology/Mathematics or Agriculture.

ii. Ordinance No. 2 of 2014: Course of Study laid down for B.Sc. (Hons.) Agriculture

The Course of Study for B.Sc. (Hons.) Agriculture course at RLBCAU shall be as prescribed by the Indian Council of Agricultural Research.

iii. Ordinance No. 3 of 2014 : Medium of instruction and examination

English shall be the medium of instruction and examination in all Under-Graduate and Post-Graduate Courses, in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi.

iv. Ordinance No. 4 of 2014 : Fees to be charged for courses of study

Various fees-both non-refundable and refundable, chargeable from the students of B.Sc. (Hons.) Agriculture of the College of Agriculture, Jhansi shall be on the pattern of existing provisions of CAU, Imphal. (Annexure-II).

v. Ordinance No. 5 of 2014 : Conditions for award of Fellowship and Scholarship

The conditions and procedure for the award of National Talent Scholarship, Merit-cum-Means scholarship and Post Matric Scholarship (for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students) to the students of Rani Lakshmi Bai





Central Agricultural University, Jhansi shall be as per rules of Indian Council of Agricultural Research or the University.

vi. Ordinance No. 6 of 2014 : Conduct of Examination

The conditions and procedure for the conduct of semester system of examination for the students of B.Sc. (Hons.) Agriculture of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be as per academic regulations adopted by the Central Agricultural University, Imphal till further notification.

vii. Conditions of Residence of the students

The conditions of residence of the students of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be as follows:

- The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be a residential University
- 2. Every student of the University shall reside in a Hostel of the University or in such other accommodation required and managed by the University.
- 3. Notwithstanding anything contained in para 1 and 2 of this Ordinance, a student may be allowed by the concerned Dean to stay outside the hostel with his/her parent/guardian

under special circumstances and on a specific written request of the parent/guardian provided the place is within a reasonable distance from the college where the student is residing.

A total of 20 students were admitted in the first batch of B.Sc. (Hons.) Agriculture programme during the Academic Year 2014-15, through All India Entrance Examination in Agriculture and Allied Sciences (AIEEA) for UG programmes conducted by Indian Council of Agricultural Research. The first academic session of the University started from 28th July, 2014 immediately two months after the appointment of the first Vice Chancellor. Excellent academic environment was provided for Under-graduate teaching programme in agriculture by involving 34 highly competent Scientists mostly from Agricultural Research Service (ARS) of cadre equivalent to Professor (17), Associate Professor (09) and Assistant Professor (08) (Annexure-III). The academic session started from 28th July, 2014-and second semester started from 29th January, 2015. The detailed academic calendar for both the semesters is given in Annexure-IV.

The following courses were offered by the University to the first year students of B.Sc. (Hons.) Agriculture during academic year under report:

I. Semester

SI.No.	Course No.	Title of Courses	Credit Hours
1.	APA 101	Principles of Agronomy and Agricultural Meteorology	3 (2+1)
2.	AGP 111	Principles of Genetics	3 (2+1)
3.	APS 116	Introduction to Soil Science	3 (2+1)
4.	AAE 131	Fundamentals of Soil, Water and Conservation Engineering	3 (2+1)
5.	APP 136	Plant Pathogens and Principles of Plant Pathology	4 (3+1)
6.	APH 101	Production Technology of Fruit Crops	3 (2+1)
7.	APA 102	Introductory Agriculture	1 (1+0)
	Total Credit	Hours	20

II. Semester

SI. No.	Course No.	Title of Courses	Credit Hours
1.	APP 137	Introductory Nematology	2(1+1)
2.	ABS 152	Statistics	2(1+1)
3.	APA 103	Water Management Including Micro Irrigation	3(2+1)
4.	AGP 112	Principles of Plant Breeding	3(2+1)
5.	AEC 126	Principles of Agricultural Economics	2(2+0)
6.	AAC 146	Dimensions of Agricultural Extension	2(1+1)
7.	ABA 154	Agricultural Microbiology	3(2+1)
8.	ABC 153	Introduction to Computer Applications	2(1+1)
9.	APS 117	Soil Chemistry, Soil Fertility and Nutrient Management	3(2+1)
10.	ABM 151	Elementary Mathematics (Non Credit)	2 (2+0)
	Total Credit	Hours	24

8. Establishment of AICRP-Chickpea sub-centre

Pulses have been in focus in recent times due to stagnant productivity coupled with declining availability and has created substantial demand supply gap leading to significant increase in their prices. Chickpea, one of the major pulses cultivated and consumed in India, is also known as Bengal gram. Chickpea is a major and cheap source of protein compared to animal protein. In India, chickpea accounts for about 45% of total pulses produced in the country. Similar to the case of other pulses, India is the major producing country for chickpea, contributing for about 70% of total production in the world. Chickpea is cultivated for its seeds. They are rich source of protein and form an important part of vegetarian diet. Chickpea seeds contain about 17-20% of protein. Chickpea is an important rabi crop mainly sown in September-November and harvested in February-March. It is best suited to areas having low to moderate rainfall and a mid cold weather. Excessive rains soon after sowing or at flowering stage are harmful for the crop. Severe cold is injurious, and is

very harmful. The Bundelkhand area having low to moderate rainfall and a mild cold weather is therefore, quite suitable for chickpea production. In order to give desired boost to productivity of Chickpea through Scientific Cultivation in the Bundelkhand region, Indian Council of Agricultural Research decided to open a new All India Coordinated Research Project Chickpea Sub-Centre at the University campus, Jhansi after administrative approval of Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture, Govt. of India vide letter no. CS/6/3/2014-IA-III dated 11.11.2014.

9. Finance and Budget

The University gets funds from Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India for carrying out its activities. During the academic year 2014-15, the University was allotted a budget of Rs. 100,000,00.00 only for the first time. The Annual Account was audited by Principal Director of Audit (Central), Lucknow, Branch office, Allahabad on behalf of Comptroller



RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

and Auditor General of India. No audit para is pending. The Balance Sheet as on 31st March, 2015 and Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 2015 is also given in Annexure-V and VI.

10. Roadmap for the year 2015-16

 Constitution of Board of Management & Finance Committee

- Formulation of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Academic Regulations for Under-graduate studies.
- Continuation of B.Sc. (Hons.) Agriculture Programme.
- Finalisation of Construction Agency and DPR.
- Creation of Teaching and Non-teaching positions for different constituent colleges of the University.

Annexure-I

Composition of Board of Management of the University

(In accordance with the para 12 (1) of the Schedule of Rani Lakhsmi Bai Central Agricultural University Act 2014)

S.No.	Composition	Name & Designation	Status
1.	Vice Chancellor [Section 12 (1) (i) of the Schedule]	Dr. Arvind Kumar, Vice Chancellor, RLBCAU, Jhansi	Ex-officio, Chairman
2.	Four Secretaries, from amongst the Secretaries in charge of the Departments of Agriculture and Animal Husbandry, Fishery and Horticulture of the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to be nominated by the Visitor by rotation: Provided that there shall not be more than two Secretaries from a State in the Board at a particular time; [Section 12(1) (ii) of the Schedule]	 Principal Secretary, Department of Agriculture, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow-226001 Principal Secretary, Department of Animal Husbandry, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow – 226001 Mr Rajesh Rajora, Principal Secretary, Department of Agriculture, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal – 462003 Mr. Prabhanshu Kamal, Principal Secretary, Department of Animal Husbandry, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal – 462003 	Member Member Member
3.	Three eminent scientists to be nominated by the Visitor [Section 12(1) (iii) of the Schedule]	 Dr. S.C. Modgal, Ex-Director General, UPCAR, Lucknow and Ex-Vice-Chancellor, GBPUAT, Pantnagar, 6, Rajdeep Enclave, Ph.II, 100 ft Road, Dayal Bagh, Agra – 282005. Dr. K.R. Dhiman, Ex Vice-Chancellor, YS Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan, Himachal Pradesh, Tashiling Cottage, below BCS, Phase-3, New Shimla, Shimla – 171009. Dr. B.V. Patil, Director of Edn. & Ex-Vice Chancellor, University of Agricultural 	Member Member
4.	one distinguished person representing Agro-based industries or a manufacturer having a special knowledge in agricultural development to be nominated by the Visitor; [Section 12(1) (iv) of the Schedule]	Sciences, Raichur - 584104 Sri N. Kumar, Devarahally, Post: Lakshmisagar, Taluk: Sirsa, Distt- Tumkur - 572139, Karnataka, C/o Siddeswara Gowda, Retd. SP. Canna Cottage,16th Cross, SIT Extension, Nandeesh Layout Tumkur - 572103	Member
5.	The Deputy Director-General (Education) representing the Indian Council of Agricultural Research; [Section 12(1) (v) of the Schedule]	DDG (Education) ICAR, KAB-II, Pusa, New Delhi 110012	Member



RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

S.No.	Composition	Name & Designation	Status
6.	One Dean of college and one Director to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis; [Section 12(1) (vi) of the Schedule]	 Dr. (Mrs.) Mridula Billore, Dean, B.M. College of Agriculture, Khandwa- 450001. Dr. P.K. Ghosh, Director, IGFRI, Jhansi – 284003. 	Member Member
7.	Three persons including at least a woman representing farmers in Bundelkhand to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation in the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh: Provided that there shall not be more than two representatives from a State in the Board at a particular time; [Section 12(1) (vii) of the Schedule]	 Mrs. Pramod Kumari Rajput, Gondu Compound, Civil Lines, Jhansi – 284001. Sri Mahendra Pratap Singh Yadav, Yadav Complex, near Kumkum Talkies, Panna – 411002. Sri Gopal Das Paliwal, Town-Kurara, Ward 11, Paliwal Muhal, Janpath Hamirpur – 210505. 	Member Member Member
8.	An Advisor (Agriculture), Planning Commission; [Section 12(1) (viii) of the Schedule]	Dr. J.P. Misra, Advisor (Agriculture), Niti Aayog, Govt of India, New Delhi – 110049.	Member
9.	A distinguished authority on natural resource or environment management to be nominated by the Visitor; [Section 12(1) (ix) of the Schedule]	Prof. Anil Kumar Singh, Ex-DDG (NRM) ICAR, Vice-Chancellor, Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior – 474002.	Member
10.	Two persons not below the rank of Joint Secretary representing respectively the Departments of Government of India dealing with the Agriculture and Animal Husbandry to be nominated by the concerned Secretary to the Government of India; [Section 12(1) (x) of the Schedule]	 Mr. Sanjay Lohiya, Joint Secretary (Crops), Dept. of Agriculture and Co-operation, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001. Smt. Rajni Sekhri Sibal, Joint Secretary (C & DD), Dept. of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001 	Member Member
11.	Nominee of the Secretary representing the Department of Agricultural Research and Education, Government of India; [Section 12(1) (xi) of the Schedule]	Addl. Secretary, DARE and Secretary, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001	Member
12.	the Registrar of the University-Secretary. [Section 12(1) (xii) of the Schedule]	Vacant	Member Secretary

ANNUAL REPORT 2014-15

Annexure-II Fee Chargeable from the Students of B.Sc. (Hons.) Agriculture

S.No.	Particulars of fees	Amount, Rs		
College Fee-Non-refundable/Semester				
1.	Registration fee	40.00		
2.	Admission Fee	10.00		
3.	Tuition fee	240.00		
4.	Examination Fee	50.00		
5.	Laboratory Fee	100.00		
6.	Library Fee	40.00		
7.	Course Registration Fee	10.00		
8.	Semester report fee	10.00		
9.	Students' Welfare Fund	80.00		
10.	Hostel admission fee	10.00		
11.	Hostel establishment fee	20.00		
12.	Hostel utensils, crockery etc. Depreciation charges	90.00		
13.	Hostel room rent	600.00		
14.	Water Charges	60.00		
15.	Electricity charges	As per actual		
	Total	1360.00		
Refundable (To be pai	e d only once for a course)			
16.	College caution money	200.00		
17.	Hostel caution money	500.00		
18.	Electricity Security	1000.00		
19.	Mess security	2000.00		
	Total	3700.00		

Note

- 1. Students shall pay the mess charges separately as per the actual expenditure incurred.
- 2. The fees as specified in this Ordinance shall be chargeable from the students admitted to B.Sc. (Hons) Agriculture Course in 2014-15 academic session till further notification.



Annexure-III Teaching Faculty Engaged for B.Sc. (Hons) Agriculture First Year

S.No.	Faculty	Designation	Course Title
I Seme	ster		
1.	Dr. P.N. Dwivedi	Course Coordinator/ Principal Scientist (Animal Nutrition), ICAR-IGFRI, Jhansi	-
2.	Dr. N.S. Ekka	Co-Coordinator/ Scientist SS (Geography), ICAR-IGFRI, Jhansi	-
3.	Dr. Ram Newaj	Course Leader, Principal Scientist (Agronomy), ICAR-CAFRI, Jhansi	Principles of Agronomy and Agricultural Meteorology
4.	Dr. S.N. Ram	Principal Scientist (Agronomy), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Agronomy and Agricultural Meteorology
5.	Dr. Inder Dev	Principal Scientist (Agronomy), ICAR-CAFRI, Jhansi	Principles of Agronomy and Agricultural Meteorology
6.	Dr. S.K. Rai	Principal Scientist (Agricultural Meteorology), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Agronomy and Agricultural Meteorology
7.	Dr. A.K. Roy	Course Leader/Project Coordinator (Forage Crops) ICAR- IGFRI, Jhansi	Principles of Genetics
8.	Dr. G. Sahay	Sr. Scientist (Genetics & Cytogenetics), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Genetics
9.	Dr. Kumar Durgesh	Scientist (Plant Breeding), ICAR- IGFRI, Jhansi	Principles of Genetics
10.	Dr. R.P. Shah	Scientist (Plant Breeding), ICAR- IGFRI, Jhansi	Principles of Genetics
11.	Dr. Rajendra Prasad	Course Leader, Principal Scientist (Soil Fertility & Microbiology), ICAR-CAFRI, Jhansi	Introduction to Soil Science
12.	Dr. Manoj Chaudhary	Scientist (Soil Science), ICAR- IGFRI, Jhansi	Introduction to Soil Science
13.	Dr. Ramesh Singh	Course Leader /Principal Scientist (Soil & Water Conservation), ICAR-CAFRI, Jhansi	Fundamentals of Soil Water Conservation and Engineering
14.	Er. B. Narsimlu	Sr. Scientist (SWCE), ICAR-IGFRI, Jhansi	Fundamentals of Soil Water Conservation and Engineering
15.	Dr. Pradeep Saxena	Course Leader/ Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR-IGFRI, Jhansi	Plant Pathogens and Principles of Plant Pathology
16.	Dr. Anil Kumar	Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR-CAFRI, Jhansi	Plant Pathogens and Principles of Plant Pathology

ANNUAL REPORT 2014-15

S.No.	Faculty	Designation	Course Title	
17.	Dr. Ritu Mawar	Sr. Scientist (Plant Pathology), ICAR- IGFRI, Jhansi	Plant Pathogens and Principles of Plant Pathology	
18.	Dr. H.V. Singh	Sr. Scientist (Plant Pathology), ICAR- IGFRI, Jhansi	Plant Pathogens and Principles of Plant Pathology	
19.	Dr. R.K. Tiwari	Course Leader Principal Scientist (Horticulture), ICAR- IGFRI, Jhansi	Production Technology of Fruit Crops	
20.	Dr. Sunil Kumar	Principal Scientist (Horticulture), ICAR-CAFRI, Jhansi	Production Technology of Fruit Crops	
21.	Dr. Sadhna Pandey	Sr. Scientist (Home Science), ICAR-IGFRI, Jhansi	Introductory Agriculture (Ancient Heritage, Agriculture, Scenario and Gender Equity in Agriculture)	
22.	Dr. Manju Suman	Sr. Scientist (Agril. Extension), ICAR-IGFRI, Jhansi	Introductory Agriculture (Ancient Heritage, Agriculture, Scenario and Gender Equity in Agriculture)	
II Seme	ester			
1.	Dr. Anil Kumar	Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR-CAFRI, Jhansi	Introductory Nematology	
2.	Dr. Ajit Kumar	Principal Scientist (Agril. Statistics Division), ICAR-IASRI, New Delhi	Statistics	
3.	Er. B. Narsimlu	Sr. Scientist (SWCE), ICAR-IGFRI, Jhansi	Water management including Micro Irrigation	
4.	Dr. Kumar Durgesh	Scientist (Plant Breeding), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Plant Breeding	
5.	Dr. A.K. Roy	Project Coordinator (Forage Crops), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Plant Breeding	
6.	Dr. D.N. Singh	Retd. Principal Scientist (Plant Breeding), ICAR-IGFRI, Jhansi	Principles of Plant Breeding	
7.	Dr. Mahendra Singh	Sr. Scientist (Agricultural Economics), CAFRI, Jhansi	Principles of Agril. Economics	
8.	Dr. Manju Suman	Sr. Scientist (Agril. Ext.), ICAR- CAFRI, Jhansi	Dimension of Agril. Extension	
9.	Dr. R.P. Dwivedi	Principal Scientist (Agril. Ext.), ICAR-CAFRI, Jhansi	Dimension of Agril. Extension	
10.	Dr. Rishi Kumar Saxena	Head (Microbiology), Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology	



RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

S.No.	Faculty	Designation	Course Title
11.	Dr. Sanjay Kumar	Assistant Professor, Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology
12.	Dr. Devendra Mani Tripathi	Assistant Professor (Microbiology), Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology
13.	Dr. Sangeeta Lal	Assistant Professor (Microbiology), Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology
14.	Dr. Ranjana Bhati	Assistant Professor (Microbiology), Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology
15.	Dr. Pankaj Sagar	Assistant Professor (Microbiology), Bundelkhand University, Jhansi	Agricultural Microbiology
16.	Dr. R.H. Rizvi	Principal Scientist, (Computer Science), ICAR-CAFRI, Jhansi	Introduction to Computer Applications
17.	Dr. Rajendra Prasad	Principal Scientist (Soil Fertility & Microbiology), ICAR-CAFRI, Jhansi	Soil Chemistry, Soil Fertility and Nutrient Management
18.	Dr. S.B. Tripathi	Retd. Principal Scientist (Soil Science), ICAR-IGFRI, Jhansi	Soil Chemistry, Soil Fertility and Nutrient Management
19.	Dr. Ajit Kumar	Principal Scientist (Agril. Statistics Division), ICAR-IASRI, New Delhi	Mathematics Deficiency course

Annexure-IV

Academic Calendar for the Year 2014-15 B.Sc. (Hons.) Agriculture

FIRST SEMESTER

Date of Registration and Admission	28.07.2014
Orientation	
Orientation Progrmme with Vice Chancellor	28.7.2014
Orientation: CAFRI, Jhansi	29.7.2014
Orientation: IGFRI, Jhansi	30.7.2014
Commencement of classes	01.8.2014
Fresher's Day/Cultural eve	14.8.2014
Mid-Term Semester Examination	13.10.2014 to 20.10.2014
Mid-Semester report to Dean from Teachers	25.10.2014
Instructions End	24.12.2014
Preparation Break	26.12.2014 to 28.12.2014
End Term Examination (Theory and Practical)	29.12.2014 to 12.01.2015
Semester Break	13.01.2015 to 28.01.2015

NEXT SEMESTER STARTS FROM 29.01.2015

SECOND SEMESTER

Date of Registration	29.1.2015
Commencement of classes	31.1.2015
Last Date of Registration	3.2.2015
Mid- term Semester Examination	10.4.2015 -21.4.2015
Mid Semester Report to Dean from Teachers	24.4.2015
Instructions End	20.6.2015
Preparation Break	21.6.2015 to 24.6.2015
End term Examination(theory and practical)	25.6.2015 to 15.7.2015
Semester Break	16.7.2015 to 30.7.2015

NEXT SEMESTER STARTS FROM - 1. 8. 2015



Annexure-V

Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi Annual Accounts 2014-15

Balance Sheet as on 31st March 2015

(Amount in Rupees)

Corpus/Capital Fund & Liabilities				
	Schedule	Current Year	Previous Year	
Corpus/Capital Fund	1	263031.00		
Reserves	2	0.00		
Earmarked/Endowment Fund	3	0.00		
Current Liabilities & Provisions	4	8199036.00		
Tatal		9469967.00	0.00	
Total		8462067.00	0.00	
Assets				
70000				
Fixed Assets	5	206711.00		
Investments - Earmarked/Endowment Funds	6	0.00		
Current Assets, Loans & Advances	7	8255356.00		
Total		8462067.00	0.00	
Significant Accounting Policies	23			
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24			

Sd/-Vice Chancellor Sd/-Finance & Accounts Officer

Annexure-VI

Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi Annual Accounts 2014-15

Income & Expenditure Account for the Year Ended 31st March 2015

(Amount in Rupees)

A. Income	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants from DARE	8	1785525.00	
Income from Sales & Services	9	0.00	
Academic Receipts	10	56320.00	
Income from investments	11	0.00	
Income from Royalty/Publications	12	0.00	
Interest Earned	13	0.00	
Other Income	14	0.00	
Prior Period Income	15	0.00	
		0.00	
Total (A)		1841845.00	0.00
B. Expenditure			
Establishment expenses	16	1503500.00	
Administrative expenses	17	62013.00	
Academic Expenses	18	215350.00	
Research Expenses	19	0.00	
Extemsion Activities Expenses	20	0.00	
Other Expenses	21	4662.00	
Prior period expenditure	22	0.00	
Depreciation	5	19453.00	
Total (B)		1804978.00	0.00
Balance being surplus/(Deficit) carried to corpus/Capital Fund		36867.00	0.00

Sd/-Finance & Accounts Officer



Annexure-VII

Candidates recommended for admission to RLBCU, Jhansi

S. No.	Roll. No.	Rank	Name	Domicile State	Cate- gory	Board Name	XII %	ICAR Score
1.	2305791	1550	HEMANT SINGH	Rajasthan	GEN	Rajasthan Board of Secondary Education	82.31	514.00
2.	2310568	1616	MONIKA GOYAL	Rajasthan	GEN	Rajasthan Board of Secondary Education	80.40	513.00
3.	2308012	1664	AMIT DHULL	Haryana	GEN	Central Board of Secondary Education	78.40	511.00
4.	2401682	1758	SWAPNIL PANDEY	Uttar Pradesh	GEN	Council for the Indian School Certificate Examinations	87.00	508.00
5.	1004620	1791	VANYA SINGH	Uttar Pradesh	GEN	Central Board of Secondary Education	91.00	507.00
6.	1702689	1830	KANU KUMAWAT	Rajasthan	GEN	Rajasthan Board of Secondary Education	71.60	506.00
7.	2000199	1842	ROSHNI	Uttar Pradesh	GEN	Central Board of Secondary Education	84.80	506.00
8.	1003114	1864	MANISHA DUHAN		GEN	Central Board of Secondary Education	77.40	505.00
9.	2301836	1870	ROHIT KUMAR SHIRVASTAVA	Uttar Pradesh	GEN	Central Board of Secondary Education	77.20	505.00
10.	2302310	2076	UMESH KUMAR JAISWAL	Rajasthan	GEN	Rajasthan Board of Secondary Education	75.80	498.00
11.	2308265	2109	VIRENDRA KUMAR KALWAR	Rajasthan	GEN	Rajasthan Board of Secondary Education	71.40	497.00
12.	1003705	2439	ANIL KUMAR	Delhi	OBC	Central Board of Secondary Education	58.00	487.00
13.	3206047	2907	SUNNY SINGH	Bihar	OBC	Central Board of Secondary Education	76.40	475.00
14.	1001195	3005	RISHIPAL	Haryana	OBC	Central Board of Secondary Education	74.44	473.00
15.	3204439	3047	SUMAN KUMARI	Bihar	OBC	Central Board of Secondary Education	76.40	471.00
16.	3001661	9141	SUNIL KUMAR	Himachal Pradesh	SC	H.P. Board of School Education	73.60	364.00
17.	2302172	11181	HARSHITA YADAV	Rajasthan	SC	Central Board of Secondary Education	72.00	337.00
18.	3002248	12659	MUKESH KUMAR	Himachal Pradesh	SC	H.P. Board of School Education	75.20	320.00
19.	3900484	18793	SAWAN KUMAR	Himachal Pradesh	ST	H.P. Board of School Education	79.40	260.00
20.	2300891	20101	SATYA PRAKASH MEENA	Rajasthan	ST	Rajasthan Board of Secondary Education	64.46	250.00

